वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रबंध मंडल की 80 वीं बैठक दिनांक 05 सितंबर 2011 का कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 80वीं बैठक दिनांक 05 सितंबर 2011 को अपरान्ह बाद 2.30 विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित हुई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1. प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2. प्रो0 अतुल शर्मा पूर्व कुलपति रा0गां0वि0वि0 ईटानगर एवं पूर्व सदस्य वित्त आयोग(भारत सरकार) नई दिल्ली।	सदस्य
3. प्रो0 श्रीमती मालाश्री लाल विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी) दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।	सदस्या
4. प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया आचार्य (अर्थशास्त्र) वर्धमान महावीर खुला वि0वि0, कोटा।	सदस्य
5. डा0 आर0 सी0 मीणा निदेशक, क्षे0के0 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,अजमेर।	सदस्य
6. डा0 जुल्फिकार बेग मिर्जा R.A.S. कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव

P.T.O.

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों का स्वागत करते हुए नवमनोनीत सदस्य डा0 आर0 सी0 मीणा का अन्य सदस्यों से परिचय करवाते हुए निर्वतमान सदस्य डा0 आर0 सी0 शर्मा द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में किये गये सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ आवश्यक गणापूर्ति सनिश्चित किये जाने के बाद बैठक प्रारंभ करने की औपचारिक घोषणा करते हुए, कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय किये गयेः–

80/01 प्रबंध मंडल की 79 वीं बैठक दिनांक 26 अप्रेल 2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न प्रबंध मंडल की 79 वीं बैठक दिनांक 26 अप्रेल 2011 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने के बाद अनुमोदित किया गया।

80/02 प्रबंध मंडल की 79 वीं बैठक के निर्णयों के कम में हुई अनुपालना का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 79 वीं बैठक दिनांक 26 अप्रेल 2011 में किये गये निर्णयों की अनुपालना में की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया।

80/03 दिनांक 20 अगस्त 2011 को आयोजित विद्या परिषद की 41वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 20 अगस्त 2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

80/04 दिनांक 05 सितंबर 2011 को आयोजित वित्त समिति की 46वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

वित्त समिति की 46वीं बैठक दिनांक 05 सितंबर 2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए निर्णय संख्या 46/6(1) में लिखे गये शब्द "फीड बैक" का उपयुक्त नहीं मानते हुए निर्णय किया गया कि कार्मिकों को वाहन एवं भवन अग्रिम के सम्बन्ध में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

80/05 श्री राकेश शर्मा, सह आचार्य, को निलंबित किये जाने की सूचना।

प्रकरण की जानकारी के बाद प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत की गई कार्यवाही को नोट किया गया।

80/06 विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई हैंडबुक का अवलोकन एवं विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये स्टेच्युट्स/आर्डिनेंसेस का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार हैंडबुक का अवलोकन करते हुए इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार करने के लिए किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए हैंडबुक में तैयार किये गये नवीन आर्डिनेंसेस एवं स्टेच्युट्स का अनुमोदन किया गया।

Contd-3

80/07 कनि0 लिपिक एवं स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताओं में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों को विश्वविद्यालय में इन पदों पर नियुक्ति के लिए लागू किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

कनि0 लिपिक एवं स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताओं में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों को विश्वविद्यालय में इन पदों पर नियुक्ति के लिए लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

80/08 सी0एम0सी0 नेटवर्किंग में जांच अधिकारी प्रो0 एल0 के0 दाधीच द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

सी0एम0सी0 नेटवर्किंग में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में डेक की शर्तो के चलते तत्समतय जो निर्णय किये गये वे निर्णय गलत नहीं पाये गये है एवं तत्समय किये गये निर्णयों के लिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया है, अतः जांच प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए निर्णय किया गया कि सी0एम0सी0 द्वारा किये गये कार्य एवं लगाये गये उपकरणों का उपयोग करने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की जाए जो कि विश्वविद्यालय में सी0एम0सी0 द्वारा किये गये कार्यो एवं स्थापित उपकरणों की जांच कर इनके उपयोग के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे ताकि इन उपकरणों के वर्तमान समय में उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके।

80/09 विश्वविद्यालय में ई0पी0बी0एक्स0 सिस्टम लगवाने सम्बन्धी प्रकरण की भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो द्वारा जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के कम में प्रबंध मंडल की 79 वीं बैठक के निर्णय के कम में नियुक्त जांच अधिकारी प्रो0 अरूण चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

सदन पटल प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद संपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श बाद निर्णय किया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो में दर्ज प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाए तथा श्री सी0 पी0 मेघवाल एवं श्री ओम प्रकाश गुप्ता के विरूद्व कार्य में लापरवाही बरते जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय जांच करवाई जाए।

80/10 वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदनों का अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

वार्षिक प्रतिवेदनों का अवलोकन करते हुए सदस्यगणों द्वारा यह जानना चाहा कि इनके प्रकाशन के सम्बन्ध में क्या समयावधि निर्धारित है, समयावधि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लेख नहीं होने की जानकारी के बाद सदस्यों द्वारा कहा गया कि वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में इतना अधिक विलंब नहीं होना चाहिए यथा संभव उक्त प्रतिवेदनों का प्रकाशन वित्तिय वर्ष की समाप्ति के बाद शीघ्र करवाया जाना चाहिये। कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदनों का अवलोकन करने के बाद

P.T.O

माननीय सदस्यगणों द्वारा यह महसूस किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों एवं उनमें पंजीकृत छात्रों की संख्या को देखते हुए विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के पदों की बहुत कमी है, अतः वर्तमान रिक्त पदों को भरने, एवं नये पद सृजित करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

उक्त चर्चा के बाद वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया गया ।

80/11 विश्वविद्यालय में Quality Assurance प्रकोष्ठ के नाम को परिवर्तित कर CIQA (Centre for Internal Quality Assurance) प्रकोष्ठ के गठन सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ।

नवगठित प्रकोष्ठ के कार्य, उपयोगिता एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को सूचित करने के बाद सदन द्वारा Centre for Internal Quality Assurance प्रकोष्ठ के गठन सम्बन्धी आदेश क्रमांक 6022 दिनांक 18 जुलाई 2011 को नोट किया गया।

80/12 <u>अन्य बिंदु आसन की अनुमति से:–</u>

80/12(1) विश्वविद्यालय में निदेशक के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित चयन समिति विशेषज्ञों के सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं निर्णय का प्रस्ताव।

सदन के पटल पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि निकट भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक मुख्यालय एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक आयोजित की जानी है,उक्त चयन समिति में विशेषज्ञों के मनोनयन के सम्बन्ध में प्रावधान के तहत विशेषज्ञों का पैनल प्रबंध मंडल से अनुमोदित करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा उपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा पटल पर प्रस्तुत पैनल को प्रबंध मंडल द्वारा नोट किया गया। इस बिंदु पर चर्चा के दौरान डा0 आर0सी0 मीणा सदन के बाहर चले गये।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के बाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव(प्रबंध मंडल)